न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 451/2025

श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री नेकीराम, ग्रा0पो0 बहादुरवास, जिला झुंझुनूं (राज0), पिन कोड 333704

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 13.11.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 28.10.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 451/2025 पर दिनांक 28.10.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/ 4733—734 दिनांक 28.10.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बिन्दू सं0 1 मे प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, झुंझुनूं व श्रीमान् विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मण्डावा को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1285 दिनांक 30.12.2024 व पत्र क्रमांक 484 दिनांक 27.08.2025 के द्वारा जांच कर जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्र लिखा जा चुका है जिसकी रिपोर्ट आदिनांक तक प्राप्त नही हुई है जिसकी सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 72 दिनांक 09.10.202 को प्रेषित की जा चुकी है। बिन्दू सं0 2 मे प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी निर्धारित आवेदन संबंधित पटवारी हल्का को प्रस्तुत कर स्वयं प्राप्त कर सकते है। बिन्दू सं0 3 मे प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस प्रकार है कि पटवार मण्डल बहादुरवास मे रास्ता खोलो अभियान के तहत 2 रास्तों के प्रकरण निस्तारित किये गये है जिनका विवरण आप निर्धारित प्रारूप मे आवेदन कर तहसील कार्यालय मण्डावा से नकल प्राप्त कर सकते है। अतः प्रकरण मे वस्तुस्थिति की रिपोर्ट पेश है।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बिन्दू सं0 1 मे प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, झुंझुनूं व श्रीमान् विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मण्डावा को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 1285 दिनांक 30.12.2024 व पत्र क्रमांक 484 दिनांक 27.08.2025 के द्वारा जांच कर जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्र लिखा जा चुका है जिसकी रिपोर्ट आदिनांक तक प्राप्त नही हुई है जिसकी सूचना प्रार्थी को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 72 दिनांक 09.10.202 को प्रेषित की जा चुकी है। बिन्दू सं0 2 मे प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी निर्धारित आवेदन संबंधित पटवारी हल्का को प्रस्तुत कर स्वयं प्राप्त कर सकते है। बिन्दू सं0 3 मे प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस प्रकार है कि पटवार मण्डल बहादुरवास मे रास्ता खोलो अभियान के तहत 2 रास्तों के प्रकरण निस्तारित किये गये है जिनका विवरण आप निर्धारित प्रारूप मे आवेदन कर तहसील कार्यालय मण्डावा से नकल प्राप्त कर सकते है। चूंकि प्रार्थी को बिन्दूवार सूचना के संबंध मे वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 13.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं